**प्रेस नोट दिनाँक-25.09.2020**

**(1).** आज दिनाँक 25.09.2020 को अपर पुलिस महानिदेशक महोदय प्रयागराज जोन श्री प्रेम प्रकाश द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में कर्वी शहर के ट्राफिक चौराहे पर बिना मास्क वालों की आकस्मिक चैकिंग की गयी,जिसमें बिना मास्क लगाये पाये गये व्यक्तियों के चालान किये गये। इस दौरान महोदय द्वारा डियूटी पर उपस्थित समस्त पुलिस बल को निर्देशित किया गया कि बिना मास्क लगाये चलने वालों, 02 पहिया वाहनों पर 03 सवारी, 04 पहिया वाहनों में काली फिल्म की सघन चैकिंग की जाये।

**(2).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप/पोक्सो कोर्ट द्वारा मु0अ0सं0 100/18 धारा 452/376/323/504/506भादवि0 में नामित अभियुक्त रामबहादुर उर्फ पुट्टुल पुत्र फक्कड निवासी बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास एवं 20000/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18/05/2018 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा रात्रि में 10 बजे घर में घुसकर वादिया के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया गया था और छुड़ाने का प्रयास करने पर लात, घुसा व डंडा से मारपीट की गयी थी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 100/18 धारा 452/376/323/504/506भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चेकिंग अभियान में दिनाँक 24.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना राजापुर में 17 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना मानिकपुर में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना पहाड़ी में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना बहिलपुरवा में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना मारकुण्डी में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

**(4).** आज दिनांक 25.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्री दुबासे पुत्र बच्चीलाल निवासी पुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पुत्र मनीष एवं बहु सविता ने आपस में झगड़ा कर लिया है और घर नहीं आ रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्री दुबासे की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, बेटे मनीष एवं बहु सविता से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही। श्री दुबासे के बेटे मनीष एवं बहु सविता द्वारा में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नि के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(5). आज दिनाँक-25.09.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान कोविड-19 हेल्प डेस्क में आगंतुक रजिस्टर को चेक कर नियुक्त महिला आरक्षी को थाना परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का तापमान नापने एवं नाम पता नोट करने हेतु निर्देश दिये । थाना कार्यालय में रजिस्टर नं-04, शस्त्र रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक रखने हेतु निर्देश दिये । महोदय द्वारा बैरक,आवासीय भवन, भोजनालय, थाना परिसर का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर को साफ-सफाई हेतु निर्देश दिये ।